

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1886 / 2012 / उदयपुर.

मैसर्स कंचन एन्टरप्राइजेज,  
एमएम काम्पलैक्स, उदयपुर

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-बी, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, श्री विनीत कृष्ण पारीक  
अभिभाषकगण

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17 / 04 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील, उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर के द्वारा अपील संख्या 83/आरवैट/11-12 में पारित आदेश 05.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, उदयपुर (जिसे आगे 'सशक्त अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा गया था, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी व्यवसायी का वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.02.2011 को पारित करते समय व्यवसायी द्वारा वर्ष भर में की गई खरीद बिक्री का लेखा पेश किया गया था, जिसमें कर योग्य एवं करमुक्त दोनों तरह के माल के विक्रय किये गये थे, जिसका लाभ इकजाही बता दिया गया था ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने उस व्यापार खाते का विश्लेषण करते हुये यह अवधारित किया कि लाभ को कुल विक्रय के अनुपात में बांटने पर एवं करयोग्य खाते का ट्रेडिंग अकाउंट पृथक से तैयार करने पर उसमें Closing Stock रुपये 13,09,623/- प्राप्त होता है जबकि अपीलार्थी ने कर योग्य खाते का Closing Stock 9,39,226/- ही दर्शाया है जिससे रुपये 3,70,397/- की उच्चन्ति बिक्री मानते हुए उस पर रुपये 14,816/- का कर एवं करवंचना के अपराध में धारा 61 के तहत शास्ति रुपये 29,472/- एवं ब्याज रुपये 3,408/- आरोपित किया गया था।



लगातार.....2




उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गई थी प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी तथा इस प्रस्तुत अपील में जो आधार दिये गये हैं उसमें मुख्य बल शास्ति को अपास्त करने पर दिया गया है।

4. प्रकरण में व्यापार खाते (Trading Account) की मेरे द्वारा जांच करने पर पाया कि "करयोग्य" माल की प्रारम्भिक स्टॉक एवं खरीद के योग पर कुल लागत 28.71 लाख प्राप्त होती है उसमें से विक्रय रुपये 17,78,042/- का होना बताया गया है उस अनुरूप Closing Stock रुपये 10,93,183/- प्राप्त होता है वह तब जब लाभ की राशि शून्य हो, उस हालात में भी व्यवसायी द्वारा रुपये 1,54,957/- का स्टॉक कम बताना प्रमाणित है (माल जब बिना लाभ बेचा जाए) परन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष केवल यह बताया कि लाभ अलग अलग खातों में कम-ज्यादा हो सकता है, परन्तु इन दोनों खातों (करमुक्त एवं करयोग्य) को अलग-अलग बताने का प्रयास ही नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने पर या तो कर योग्य खाते में हानि बताई जाती या कर निर्धारण अधिकारी के आनुपातिक लाभ के प्रस्ताव को मानना अनिवार्य होता। व्यापार खाते (Trading Account) में चूंकि कर मुक्त माल की खरीद एवं ओपनिंग स्टॉक पूर्ण माल की बिक्री हो जाने से उसमें कुल लाभ रुपये 6.33 लाख आता है जबकि कुल लाभ 4.78 लाख बताया गया है जिसमें कर योग्य व्यापार खाते (Trading Account) अनुसार रुपये 1.54 लाख की हानि कर योग्य खाते में आती है। परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के समक्ष केवल कम लाभ आने का ही तर्क दिया गया था इसी लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी आनुपातिक लाभ लेते हुए स्टॉक में कमी होना मानते हुये जो कर निर्धारण किया गया है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप इस अपील स्तर में किया जाना विधिसम्मत नहीं है अतः आरोपित कर रुपये 14,816/- एवं ब्याज यथावत रखने के अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत लेखापुस्तकों में की गई प्रविष्टि अनुसार अभियोग स्थापित किया गया है अर्थात् समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों में दर्ज थे ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाना उचित नहीं है। अतः शास्ति रुपये 29,472/- अपास्त की जाती है।

फलतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य